



# राज्य रक्त संचरण परिषद, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल, ए-ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

दूरभाष: 0522-2720360 फ़ैक्स: 0522-2721135

Website: sbtcup.org & Email: bsupsacs@gmail.com

पत्रांक: SBTC/Gorakhpur/110/2018-19/ 5183

दिनांक: 28/2/19

सेवा में,

रक्तकोष प्रभारी,  
गुरु श्री गोरक्षनाथ ब्लड बैंक एवं कॉम्पोनेन्ट सेन्टर,  
गोरखनाथ मंदिर परिसर, गोरखनाथ,  
जनपद-गोरखपुर-273015

विषय: आउटरीच स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 75/0702/ब्लड बैंक से बाहर रक्त0शि0, दिनांक 07.02.2019 के क्रम में राज्य रक्त संचरण परिषद, उ0प्र0 द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त गुरु श्री गोरक्षनाथ ब्लड बैंक एवं कॉम्पोनेन्ट सेन्टर, गोरखपुर को एक वर्ष (दिनांक 01.03.2019 से 29.02.2020 तक) हेतु आउटडोर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन की अनुमति निम्न शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है:-

- नाको, भारत सरकार एवं राज्य रक्त संचरण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- स्वैच्छिक रक्तदान कैंप के आयोजन हेतु ड्रग एण्ड कार्मेटिक्स एक्ट, 1940 एवं नियमावली, 1945 में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए एवं कैंप का आयोजन उपयुक्त स्थान पर समस्त चिकित्सीय सुविधाओं के साथ ही किया जायेगा तथा शिविर स्थल प्रभारी की पूर्व अनुमति भी ली जाएगी।
- रक्तदान शिविरों हेतु निम्नानुसार मानव-संसाधन की उपलब्धता रक्तकोष में सुनिश्चित की जाएगी:-
  - डोनर रिक्रूटमेंट ऑफिसर - 01
  - डोनर मोटीवेटर हेतु काउन्सलर - 01
  - रक्तदान शिविरों हेतु नामित लैब टेक्नीशियन - 02
  - शिविरों हेतु नामित पैथॉलोजिस्ट/चिकित्सा अधिकारी - 01
- शीत श्रृंखला बनाये रखते हुए कम से कम 100 रक्त यूनिटों के परिवहन हेतु ब्लड ट्रान्सपोर्टेशन वैन/अन्य वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- रक्तकोष द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजित करने से एक सप्ताह पूर्व स्थानीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औषधि निरीक्षक एवं राज्य रक्त संचरण परिषद को लिखित रूप से सूचित किया जाएगा।
- रक्तकोष द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजित होने के एक सप्ताह के अन्दर शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं की सूची, रक्तदान स्थल एवं तिथि की सूचना स्थानीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औषधि निरीक्षक एवं राज्य रक्त संचरण परिषद को दिया जाएगा एवं रक्तकोष द्वारा रक्तदान शिविर के स्थल एवं तिथि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- परिषद अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक की माँग पर किसी विशेष ब्लड ग्रुप का रक्त उपलब्ध होने पर बिना प्रतिस्थानी के ही आपूर्ति किया जाएगा।

एक रक्तदान बचायें - चार जान




उक्त के साथ ही रक्तकोष द्वारा निम्न बिन्दुओं का भी अनुपालन किया जाएगा:-

1. रक्तकोष द्वारा एक रक्तदान शिविर में 03 घण्टें में 50-60 तथा 06 घण्टें में 100-200 रक्त यूनिट अथवा वास्तविक आवश्यकता के अनुसार रक्त यूनिट संग्रहीत किया जाएगा।
2. रक्तकोष द्वारा रक्तदान शिविरों के निर्धारण के समय यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि शिविर स्थल से रक्त संग्रहण के पश्चात् रक्त यूनिटों को कम्पौनेंट सेपरेशन हेतु निर्धारित समय में रक्तकोष तक पहुंचाया जा सकेगा।
3. रक्तदान शिविर में हवा, रोशनी एवं सफाई इत्यादि की उचित व्यवस्था की जाएगी।
4. सभी रक्तदाताओं हेतु रक्तदान के पश्चात् रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की जाएगी।
5. रक्तदान के पश्चात् रक्तदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। प्रशंसा स्वरूप केवल प्रमाण-पत्र, बैचेज, मग आदि ही दिया जाएगा।
6. आकस्मिकता की स्थिति हेतु उचित प्रबन्ध किया जाएगा।
7. रक्तदान शिविरों में बायोमैडिकल वेस्ट के नियमों का पूर्णतया पालन किया जाएगा।
8. रक्तदान शिविरों में रक्तदाताओं की प्री एवं पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग हेतु काउंसलर की व्यवस्था की जाएगी।
9. रक्तकोष द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजित करने के उपरान्त प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाएगी। (संलग्नक-1)

कृपया स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु उपर्युक्त बिन्दुओं का पूर्णतया पालन करने के साथ ही शिविरों के आयोजन उपरान्त रक्तदाताओं की सूची 07 दिन के अन्दर स्थानीय औषधि निरीक्षक एवं परिषद को अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा वाहन का विवरण परिषद द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप-2 पर पूर्णतया भरकर रक्तकोष में सुरक्षित रखा जाय।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया  
  
ok (डा० गीता अग्रवाल)  
सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिला अधिकारी, गोरखपुर।
2. औषधि नियन्त्रक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, सेक्टर-सी, निकट नेहरू बाल वाटिका, अलीगंज, लखनऊ।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
4. औषधि निरीक्षक, कार्यालय जिलाधिकारी, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि रक्तकोष द्वारा आयोजित आउटडोर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का निरीक्षण समय-समय पर करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट परिषद को प्रेषित करने का कष्ट करें।

ok (डा० गीता अग्रवाल)  
सचिव